

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक:-एफ15( )भिक्षा./सा०सु०/सान्याअवि/20/ ५८०००

जयपुर, दिनांक २४/०९/२०२०

आदेश

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 के अध्याय-7 की धारा 25 में प्रावधानानुसार जिला कार्यालय में पदस्थापित समस्त उप निदेशक /सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, को एतद्वारा “पुनर्वास अधिकारी” (Rehabilitation Officer), नियुक्त किया जाता है।

३२

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ15( ) भिक्षा./सा०सु०/सान्याअवि/19-20/ ५८०००-५१ जयपुर, दिनांक २४/०९/२०२०  
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रिगण, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त जिला कलेक्टर्स।
7.  संयुक्त निदेशक, आई.टी., मुख्यावास को लेख है कि विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ।
8. उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)  
२५/९/२०२०